राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,भरतपुर

(स्वास्थ्य भवन, निकट आर.बी.एम हॉस्पीटल, भरतपुर)

क्रमांकःसंस्था/यूटीबी/2021–22/3843 दिनांकः18.06.2021

विज्ञप्ति

कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु श्रीमान शासन उप सचिव के पत्र क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 दिनांक 27.04.2021 एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव के पत्र क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 दिनांक 05.05.2021 व पत्र क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 दिनांक 26.05.2021 की अनुपालना में प्राप्त मानव संसाधनों की स्वीकृति उपरान्त जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कैडर नर्सिंग एवं पैरामैडिकल संवर्ग के स्वीकृत पदों के विरूद्ध महामारी के वर्तमान आपातकालीन समय की अत्यंत आवश्यकता के मध्यनजर यूटीबी आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राज्य सरकार की निर्धारित मासिक मानदेय दरों पर कोविड–19 के नियंत्रण अथवा वर्तमान वर्ष 2021–22 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 एवं राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार भर्ती के लिये निम्न पदों के लिये नियमानुसार आवेदन गूगल फार्म में आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र. स.	पदनाम	योग्यता	पदों की संख्या
1	जीएनएम द्वितीय	12 वीं, जीएनएम डिप्लोमा/बीएससी नर्सिंग डिग्री आरएनसी से पंजीकृत	36
2	लैब टैक्नीशियन	12 वीं, डीएमएलटी, आरपीएमसी से पंजीकृत	07
3	एएनएम	12 वीं, एएनएम डिप्लोमा, आरएनसी से पंजीकृत	45
4	फार्मासिस्ट	12 वीं, डी.फार्मा/बी.फार्मा, आरपीएमसी से पंजीकृत	40
5	सहायक रेडियोग्राफर	12 वीं, डीआरटी डिप्लोमा, आरपीएमसी से पंजीकृत	12
6	लैब सहायक	12 वीं, साइंस उत्तीर्ण एवं राजकीय प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव अथवा डीएमएलटी अथवा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैबोरेट्री रजिस्टर्ड बाई आरपीएमसी	40

उक्त पदों में वृद्धि/कमी चयन समिति द्वारा किये जा सकते है। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी नीचे दिये हुए गूगल लिंक या क्यूआर कोड के माध्यम से गूगल फार्म दिनांक 23.06.2021 को सांय 05.00 बजे तक ऑनलाइन सबमिट करें। अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार किया जायेगा–

1. चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जावेगी।
2. नर्सिंग/पैरा मेडिकल कर्मियों के लिये शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत + तकनीकी, योग्यता का प्रतिशत एवं अनुभव के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जायेगा।
3. पूर्व में 3 माह से अधिक समय तक कोविड–19 में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 10 अंक अतिरिक्त, 2 माह 3 माह की अवधि के अनुभव धारियों को 7 अंक, 1 माह 2 माह तक अवधि के अनुभव धारियों को 4 अंक एवं 1 माह से कम अवधि के अनुभव धारियों अभ्यर्थियों को 2 अंक दिये जाकर वरीयता का निर्धारण किया जावेगा।
4. एक ही पद पर समान अंक लाने वाले अभ्यर्थी होने पर अधिक आयु धारण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

प्राप्त आवेदक की 12 वीं एवं डिग्री/डिप्लोमा/तकनीकी योग्यता के औसत मार्क प्रतिशत एवं अनुभव के आधार पर वरिष्ठता सूची में दो गुना अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु कटऑफ मार्क के आधार पर बुलाया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित सूचना उपरान्त दिनांक 28.06.2021 एवं 29.06.2021 को प्रातः 10.00 बजे आवेदक **मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर** पर कोविड–19 की गाईडलाइन की पालना करते हुए उपरिथत होना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम रूप से पात्र आवेदक को आदेश प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में ही कार्यग्रहण करना बाध्यकारी होगा अर्थात अन्तिम रूप से पात्र आवेदक द्वारा तीन दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में सीट/पद रिक्त नहीं रखा जाकर स्वतः ही अन्य पात्र आवेदकों को कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

वरीयता सूची में दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के आधार पर चयन किया जावेगा। उपरोक्त यूटीबी चयन प्रक्रिया में नियमानुसार निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा। पदों का आरक्षण निम्न प्रकार होगा।

क्र. स.	पद	सामान्य		ओबीसी		एसटी		एससी		ईडब्लूएस		एमबीसी		कुल
		पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	
1	जीएनएम द्वितीय	12	4	5	2	3	1	4	1	3	0	1	0	36
2	लैब टैक्नीशियन	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	07
3	एएनएम	13	5	7	2	4	1	5	2	3	1	2	0	45
4	फार्मासिस्ट	12	5	6	2	3	1	5	1	3	0	2	0	40
5	सहायक रे. ग्राफर	5	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	12
6	लैब सहायक	12	5	6	2	3	1	5	1	3	0	2	0	40

तथापि आरक्षित श्रेणी के कार्मिक के आवेदन के अभाव में अथवा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाये जाने पर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी/आवेदक को वर्तमान आपातिक परिस्थितियों के मध्यनजर सेवा पर लिया जा सकेगा एवं चयन प्रक्रिया के अन्तिम निर्णय चयन कमेटी का होगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्स सेवाएँ कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान आपातिक परिस्थितियों में ली जा रही है। ऐसी दशा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किये गये उक्त चयन आदेश के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 71 के तहत किसी भी न्यायालय में आवेदक को वाद/याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होगा। गूगल फार्म भरने के बाद आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपि कार्यालय मं जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के समय ही अपने मूल दस्तावेजों के साथ उनकी प्रति कार्यालय में लेकर उपस्थित होवें। आवेदन राजकीय पोर्टल www.bharatpur.rajasthan.gov.in के तहत News/Download Section में उपलब्ध गूगल फार्म लिंक पर किया जा सकता है।

(डॉ. कप्तान सिंह)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भरतपुर

CS Scanned with CamScanner